जज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मोहनलाल बनाम सरकार

5/2016 सन्

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01/4/2019	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० तथा इस प्रकार से है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 136 LR Act इन तथ्यों के साथ पेश किया कि ग्राम जारेह नं.2 तहसील राजाखेड़ा के गए नक्शा बिस्वार से नवीन नक्शा ट्रेस जो निर्मित हुआ है उसमें गम्भीर त्रुटियां हैं। मौके पर भी खातेदारान इस त्रुटि के पीड़ित हैं। नम्बर के रकबे एवं नक्शा ट्रेस के मुताबिक रकबा समान नहीं है इस कारण प्रार्थीगण पैमाइश भी समुचित रूप से नहीं करा पा रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 4810 रकबा 6 बिस्वा को बिना नम्बरी स्थान जो नक्शा ट्रेस में वहाँ प्रदर्शित करने, ख.नं. 4810 के स्थान पर ख.नं 4800 को प्रदर्शित करने तथा ख.नं 4800 के स्थान पर ख.नं 4807 को प्रदर्शित करने तथा ख.नं. 4807 के स्थान पर ख.नं 4798 को प्रदर्शित करने, ख.नं 4809 के स्थान पर ख.नं 4808 प्रदर्शित करने तथा ख.नं 4808 के स्थान पर ख.नं 4809 प्रदर्शित करने बाबत निवेदन किया है तथा यह भी निवेदन किया है कि मौके पर जो काश्तकार जिस प्रकार काबिज हैं उन्हें उनके रकबे के अनुसार उसी नक्शा ट्रेस में परिवर्तन किया जाकर पैमाइश कर … प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं 7,8,9 न्यायालय में उपस्थित आये उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी सं 8 व 9 की ओर से राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया। नक्शे की त्रुटि के सम्बन्ध में तहसीलदार राजाखेड़ा से मौके की स्थिति एवं खसरा नम्बरों की भिन्नता की की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार	क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

14

प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह प्रकट किया है कि आ.ख.न 4798, 4800, 4802, 4803, 4807, 4808, 4809, 4810 के स्थित ग्राम जारिद्य न.2 के मौके की जाँच तथा राजस्व रिकार्ड. जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल सं. 2022 तथा मौके पर कब्जे के आधार पर नक्शा ट्रेस मे रकबा का मिलान नहीं आ रहा है इसमे निम्न प्रकार से भिन्न किया जावे। जिसमे नक्शा ट्रेस मे ख.न. 4810 जहाँ अंकित है वहाँ पर रुपये वगैरा का काबिज काश्त है तथा मौके पर रकबा 1-07 बीघा है। ख.न. 4810 का रकबा 06 बिस्वा है अतः मिलान क्षेत्रफल एव मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस में 4810 की जगह 4800 रकबा 1-07 बीघा किया जाना उचित है। तथा मौके पर एव नक्शे मे रिक्त जगह मे जहाँ पर तरमीमी शीट में गत नम्बर 4179, 4181 अंकित है। मिलान क्षेत्रफल में इनका वर्तमान नम्बर 4810 को अंकित किया जाना सही है। नक्शा ट्रेस मे ख. नं. 4800 जहा अंकित है वहा मौके पर जयवीर वगैरा काबिज काश्त है इसका रकबा 15 बिस्वा है जब कि 4800 का रकबा 01-07 बीघा है। रकबा मेल नहीं है। अतः मिलान क्षेत्रफल व तरमीमी शीट के आधार पर गत नम्बर 4171 अंकित है नया नम्बर 4807 अंकित होना चाहिये अतः नक्शा मे 4800 की जगह 4807 किया जाना सही है। ख.नं. 4807 की जगह 4798 ख. नं. अंकित किया जाना उचित है। ख.नं. 4798 का रकबा 12 बिस्वा सोवरन सिंह महावर के नाम दर्ज है जो मौके पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल व मौके से ख.न 4808 की जगह 4809 एव 4809 के स्थान पर 4808 किया जाना उचित बताया है जिसमे 4808 का रकबा 07 बिस्वा एव 4809 का रकबा 1-01 बीघा बताते हुए प्रस्तावित किया है

साक्ष्य प्रार्थीगण के दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी जारिद्य न.2 किता-7, प्रमाणित नक्शा ट्रेस जारिद्य न-2, प्रमाणित नक्शा किस्तवार जारिद्य न-2 नकल मिलान क्षेत्रफल जारिद्य न-2, नकल जमाबन्दी सं 2010-022, किता 2, नकल जमाबन्दी सं 2057/8 नकल प्रमाणित शिजरा बन्दोबस्त किता 4 पेश किये क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

वइस्स वकील उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली तथ्य रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया प्रार्थी वइस्स वकील प्रार्थी अंग मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नक्शा ट्रेस में परिवर्तन/शुद्धि हेतु आदेश दिये जाने के लिए निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वइस्स अधिवक्ता पर मनन किया वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की रिपोर्ट तहसीलदार से पुष्टि होती है। मुताबिक रिकार्ड के अवलोकन से भी नक्शे में ख.न. के स्थान त्रुटि होने की पुष्टि होना पाया जाता है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है जो धारा 136 LR Act के तहत काबिल दुरुस्ती है। अतः इस रिपोर्ट तहसीलदार एवं मुताबिक रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 136 एल० आर एक्ट रिपोर्ट तहसीलदार एवं मुताबिक रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है। ग्राम जारेदा नं० 2 तहसील राजाखेड़ा के नक्शा ट्रेस में वर्तमान में दर्शाई त्रुटियों को शुद्ध किया जाकर ख.न. 4810 रकबा 06 बिस्वा के स्थान पर ख.न. 4800 रकबा 0 बीघा 07 बिस्वा, ख.न. 4800 रकबा 0 बी० 07 बिस्वा के स्थान पर ख.न 4807 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 4807 रकबा 015 बिस्वा के स्थान पर ख.न. 4798 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 4809 रकबा 0 बी० 01 बिस्वा के स्थान पर ख.न. 4808 रकबा 17 बिस्वा तथा ख.न. 4808 रकबा 17 बिस्वा के स्थान पर ख.न. 4809 रकबा 0 बीघा 01 बिस्वा दर्शाये किया जावे तथा मौके पर एवं नक्शे में रिक्त जगह में जहाँ तरमीमी शीट में गलत नम्बर 4179, 4181 अंकित है मिलान अक्स में वर्तमान नम्बर 4810 है इसलिए रिक्त जगह में ख.न. 4810/0-6 अंकित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में शुद्धि की जावे। एवं मौके पर पैमाइश भी कराई जावे। पालना हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हुए
	को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील आफिस दाखिल हो। हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	